प0 सं0—14/डी0एल0ए0 बाँका (एल0पी0जी0)—05/13—2175/रा0, पटना—15, दिनांक—05/09/2013

बिहार सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार
अधिसूचना

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता हैं कि मौजा-मसुदनपुर, थाना नं०-116 परगना- भागलपुर , जिला- बांका में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात एल०पी०जी०बोटलिंग प्लांट की स्थापना के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इनके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त मौजा के भीतर जमीन का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश **29.74** एकड़ होता है जिसका खेसरा सं० निम्नांकित हैं।

अर्जनाधीन खेसरा सं० – 182,183,184,185,186,187,188,189,अंश195,199

चौहदी निम्नप्रकार हैः-

उत्तरः- 183,184,125,186,191,186,190,190,197,197

दक्षिण :- 245,182,245,184,185,245,184,187,200,195

पुरबः- 183,184,188,184,189,188,200,188,199,200

पश्चिमः- 619,181,177,181,181,184,189,186,188,195

यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनेयम 1,1894 यथा संशोधित XXXVIII 1923 की धारा 4 के उपबंधो के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,बांका के कार्यालय, में देखा जा सकता है।

बिहार के राज्यपाल, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,बांका के कर्मचारी तथा परियोजना से संबंधित आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे रेलवे विभाग के कर्मचारी तथा पदाधिकारियों को भूमि पर जाने और सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम कि धारा 4 की उपधारा 2 में उपवंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्यो के समूचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य के लिए , प्राधिकृत करते हैं ।

चुंकि बिहार के राज्यपाल की राय है कि उक्त रैयती भूमि **29.74** एकड़ है और उसका शीघ्र अर्जन आवश्यक है । अतः अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबंध भूमि पर लागू नहीं होगें ।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी बांका | अपर समाहर्त्ता, बांका | समाहर्त्ता, बांका

सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार
विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2175/रा दिनांक 05-09-13

प्रतिलिपि :- 1. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की तीन प्रतियों सहित दो दैनिक समाचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में ही प्रकाशनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी उपसमाहर्त्ता, जिला गजट बांका को बांका जिला के अगले गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
3. समाहर्त्ता, बांका को सूचनार्थ प्रेषित ।
4. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ,बांका को सूचनार्थ प्रेषित।
5. अंचल अधिकारी,बाराहाट को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रबंधक(एल०पी०जी०), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन,पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार
विभाग, बिहार, पटना